2017 का विधेयक सं. 39

IR;eso t;rs

राजस्थान विधान सभा

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017

(प्रवर समिति का प्रतिवेदन)

राजस्थान विधान सभा सचिवालय, जयपुर ।

2018

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017

प्रवर समिति का गठन

1. श्री गुलाब चन्द कटारिया	सभापति
2. श्री सुरेन्द्र पारीक	सदस्य
3. श्री जोगाराम पटेल	सदस्य
4. श्री प्रहलाद गुंजल	सदस्य
5. डॉ. मंजू बाघमार	सदस्य
6. श्री प्रद्युम्न सिंह	सदस्य
7. श्री मानिक चन्द सुराना	सदस्य
8. डॉ. किरोड़ी लाल	सदस्य

<u>सचिवालय</u>:-

1. श्री पृथ्वी राज	सचिव
2. श्री सुरेश चन्द्र शर्मा	उप सचिव (विधान)
3. श्री रमेश चन्द शर्मा	सहायक सचिव (विधान)

<u>शासकीय प्रतिनिधि</u>:-

1. श्री दीपक उप्रेती	अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह
2. श्री मनोज व्यास	प्रमुख शासन सचिव, विधि
3. श्री देवेन्द्र दीक्षित	विशिष्ट सचिव, गृह
4. श्री रवि शर्मा	विशिष्ट सचिव, विधि (विधायी प्रारूपण)
5. श्री महावीर प्रसाद	संयुक्त सचिव, विधि (विधायी प्रारूपण)
6. श्री टीकाराम शर्मा	उप सचिव, विधि
7. श्री प्रमोद कुमार	उप विधि परामर्शी, विधि

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

मैं, सभापति, प्रवर समिति जिसे दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017 निर्दिष्ट किया गया था, समिति की ओर से प्रतिवेदन करने हेतु प्राधिकृत किये जाने पर प्रवर समिति का यह प्रतिवेदन, उसके द्वारा यथा संशोधित विधेयक सहित प्रस्तुत करता हूँ:-

यह विधेयक राजस्थान विधान सभा में दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 को पुर:स्थापित किया गया था । विधेयक के प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तावित इस विधेयक के प्रस्ताव पर यह विधेयक दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 को अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया था ।

समिति द्वारा दिनांक 28 नवम्बर, 2017 की बैठक में विधेयक पर खण्डश: विचार-विमर्श प्रारम्भ किया गया । समिति की कुल 5 बैठकें हुई ।

राज्य में उचित और त्वरित न्याय को सुनिश्चित करने और दाण्डिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 को संशोधित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी ।

राज्य में रिमाण्ड कैदियों को न्यायालय में पेशी के दौरान बच निकलने की जोख़िम में कमी और साथ ही पुलिस कार्मिकों के अन्य कर्त्तव्यों में उपयोग को सुकर बनाने में सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

प्रवर समिति ने अपनी बैठकों में गहन विचार-विमर्श करते हुए कतिपय संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं। इसमें संलग्न संशोधन दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017 में प्रस्तावित है ।

खण्ड - 3

खण्ड -3 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "by such other public servant as the public servant concerned authorize in writing in this behalf" के स्थान पर अभिव्यक्ति "of some other public servant, who is administratively subordinate to, and is authorized in writing by, the public servant concerned" प्रतिस्थापित किया गया है ।

खण्ड- 7

खण्ड -7 के परन्तुक में प्रयुक्त शब्द "he may" के पश्चात् एवं "be examined" के पूर्व अभिव्यक्ति "at the discretion of the court" अन्त:स्थापित की गई है ।

जयपुर,
दिनांकः 30 जनवरी, **2018**

ह**o**
(गुलाब चन्द कटारिया)
सभापति

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर ।